(वाद संख्या–5488/18)

18.11.2020

परिवादी, रविभूषण कुमार, उपस्थित हैं।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला परिवादी के पिता, स्व0 राजेन्द्र सिंह, पुत्र स्व0 नाथो सिंह, ग्राम बड़हिया, रामचरण टोला, मो0+थाना–बड़हिया, जिला मुंगेर को स्वंतत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना, वर्ष 1980 के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन (जिसे बाद में **पेंशन** के रूप में सम्बोधित किया जा रहा है) का दावा किये जाने से संबंधित है।

2. संचिका के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना पूर्णतः भारत सरकार के गृह मंत्रालय की योजना है। पेंशन हेतु किसी भी आवेदक के मामले को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार भारत सरकार के गृह मंत्रालय को है। राज्य सरकार को पेंशन हेतु किसी भी आवेदक के मामले को मात्र गृह मंत्रालय, भारत सरकार को विचारार्थ अनुशंसित कर अग्रसारित करने का ही क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

3. प्रसंगाधीन मामले में पूर्व में परिवादी के स्वर्गीय पिता के पेंशन से सम्बन्धित मामले की अनुशंसा राज्य सरकार (बिहार सरकार) द्वारा भारत सरकार के गृह मंत्रालय को भेजी गयी थी। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के कुछ बिन्दुओं पर पृच्छा के उपरांत पुनः राज्य सरकार द्वारा स्व0 राजेन्द्र सिंह के पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा गृह मंत्रालय, भारत सरकार से की गयी। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्व0 राजेन्द्र सिंह के पेंशन स्वीकृति हेतु राज्य सरकार के अनुशंसा को दिनांक 10.11.1995, दिनांक 19.03.199 व दिनांक 28.02.2006 को अस्वीकृत कर दिया गया। पुनः स्व0 राजेन्द्र सिंह के पेंशन स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.07. 2006 को अनुशंसा की गयी।।

4. तत्पश्चात् परिवादी के पिता, स्व0 राजेन्द्र सिंह, के पेंशन स्वीकृति हेतु राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दाखिल की गयी। राज्य मानवाधिकार आयोग द्वारा जिला पदाधिकारी, लखीसराय को परिवादी के परिवाद–पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर जांच–प्रतिवेदन आयोग के समक्ष उपस्थापित कराने का अनुरोध किया गया। जिला पदाधिकारी, लखीसराय के निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय द्वारा दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्यों के आधार पर जांचोपरान्त यह निष्कर्ष दिया गया **''उपलब्ध कागजातों एवं ग्रामीणों के बयान से स्पष्ट होता है कि स्व0 राजेन्द्र प्रसाद सिंह भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में थे। अतः उपरोक्त के आलोक में इन्हें मरणोपरांत स्वतंत्रता सेनानी सम्मान एवं इससे संबंधित अन्य सम्मान देने हेतु सरकार से अनुशंसा की जा सकती है''।**

5. जिला पदाधिकारी, लखीसराय के द्वारा समर्पित उपरोक्त जांच–प्रतिवेदन से यह प्रतीत होता है कि परिवादी के पिता स्व0 राजेन्द्र सिंह स्वतंत्रता संग्राम के एक सेनानी थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने के कारण, वर्ष 1942 में उन्हें गिरफ्तार कर बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री, स्व0 कपिलदेव सिंह तथा तत्कालीन एम0एल0सी0, रामरिझन सिंह के साथ मुंगेर जेल में बंद किया गया था। संचिका के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि परिवादी के पिता स्व0 राजेन्द्र सिंह के पेंशन स्वीकृति हेतु अनुशंसा अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन, बेगूसराय, तत्कालीन रक्षा राज्यमंत्री, भारत सरकार, स्व0 ललित विजय सिंह व तत्कालीन रेलमंत्री तथा बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार, द्वारा भी भारत सरकार के गृहमंत्री से की गयी है।

6. उपरोक्त परिस्थिति में **आयोग परिवादी के पिता, स्व0 राजेन्द्र सिंह, को** स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना, वर्ष 1980 के अन्तर्गत स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के दावे पर पुर्नविचार करने हेतु राज्य सरकार को परिवादी के अभ्यावेदन को पेंशन स्वीकृति हेतु भारत सरकार के

गृह मंत्रालय को पुनः अनुशंसा के साथ अग्रसारित करने का अनुरोध करती है।

कार्यालय, आज पारित आदेश के साथ परिवादी के परिवाद–पत्र (पृ0–161–159/प0 व पृ0–157–128/प0) की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ व उचित कार्रवाई हेतु बिहार सरकार के गृह (विशेष) विभाग के प्रधान सचिव को अनुपालनार्थ भेजी जाय साथ–ही–साथ उक्त पत्र की एक प्रति सूचनार्थ एवं उचित कारवाई हेतु अवर सचिव, स्वतंत्रता सेनानी प्रभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वितीय तल्ला, एन0डी0सी0सी0–11 भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली–110001 को भेजी जाय व आज पारित आदेश की एक प्रति सूचनार्थ परिवादी को भी भेजी जाय।

दिनांक 18.02.2021 को प्रधान सचिव, गृह (विशेष) विभाग, बिहार सरकार से अनुपालन प्रतिवेदन की प्रत्याशा में संचिका उपस्थापित किया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक